सं0सं09/आ0–02–14/2003

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

सिविल सर्जन, गया द्वारा अपने ज्ञापांक– 2280 दिनांक 26.05.2003 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **डॉ0 (श्रीमती) विनिता वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बोधगया, गया** दिनांक–16.11.2002 से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित है। इन आरोपो के लिए **डॉ0 (श्रीमती) विनिता वर्मा** के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 580(9) दिनांक 08.07.2009 तथा संशोधित संकल्प सं0 280(9) दिनांक– 10.03.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

02. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप को प्रमाणित पाया गया।

03. विभागीय ज्ञापांक 100(9) दिनांक 31.01.2011 द्वारा **डॉ0 (श्रीमती) विनिता वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बोधगया**, गया को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से द्वितीय कारण की पृच्छा की गई, जो निर्धारित समयसीमा बीत जाने के उपरान्त अबतक अप्राप्त है।

04. **डॉ0 (श्रीमती) विनिता वर्मा** के विरूद्ध 05 वर्षो से अधिक लगातार अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित है, अतएव उन्हें बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की सहमति प्राप्त की गई।

अतः **डॉ0 (श्रीमती) विनिता वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बोधगया, गया** को वर्ष 2002 से लगातार पाँच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 **(श्रीमती) विनिता वर्मा** एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 1362 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 20/12/2016

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी गया/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मगध प्रमंडल गया/पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन गया/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– डॉ0 (श्रीमती) विनिता वर्मा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, बोधगया, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

D:\Sweta Section 9 01-11-12\SWETA SHARMA 2016 Sankalp 2016.docx